

[Dr. Ranen Sen]

position of the Government of India than taken a few days earlier. Therefore, I do not press the resolution, and I withdraw it.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the resolution?

Hon. Members: Yes.

The resolution was, by leave, withdrawn.

16.53 hrs.

RESOLUTION RE: UPLIFT OF
SCHEDULED CASTES

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) :

मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वसारमुता
स्वसा ।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत
भद्रया ॥

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश का मस्तिष्क बाहरी और भीतरी समस्याओं से चिन्तित है, दबा हुआ है, ऐसे समय में एक चिन्ता और जो मेरे इस संकल्प के विषय में है, वह भी मैं आपके सामने रखूँ तो कोई झूठा नहीं लगता है। यह बात आवश्यक है कि सारे संसार में प्रेम और सद्भावना उत्पन्न हो। इस लिये इस अर्थात् वेद के मंत्र में आदेश दिया गया है कि 'भाई भाई में द्वेष न हो, बहन बहन में किसी प्रकार की घृणा न हो और सब एक मत हो कर, एक व्रति होकर समान दृष्टि से मीठे वचन बोलें'। लेकिन संसार में या देश के अन्दर सत्तापूर्ण लिप्सा बढ़ती हुई दिखाई देती है, चाहे वह देशों की हो चाहे वह यहां मानवों की हो। ऐसे समय में जब कि देश के अन्दर भाषायी भेद उभरे हों, भाषायी झगड़े उभरे हों, जो कुछ भी इधर हुआ है वह आपके सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपना संकल्प सदन के सामने रख दीजिये।

श्री बाल्मीकी : मेरा जो संकल्प है वह इस प्रकार है :

“इस सभा की यह राय है कि तीन पंच वर्षीय योजनाओं के बाद भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और, इस लिये, यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन करने और अनुसूचित जातियों के कल्याण, विशेषकर सरकारी नौकरियों में उन के लिये पदोन्नतियों तथा स्थान रक्षित करने, भूमि दिये जाने, आदि सम्बन्धी उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करे।”

मैं अपने इस संकल्प को पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बात अवश्य है कि जब हम अपनी दशा का जिक्र इस सदन में करते हैं तो आज भी हमें अस्पृश्यता की जो विभीषिका है देश के अन्दर उस और जाना होगा। यह बात ठीक है कि अस्पृश्यता निवारण का जो कार्य है वह एक मानवीय कार्य है, लेकिन जिस गति से वह हमारे इस देश के अन्दर चल रहा है उस से हम अभी सन्तुष्ट नहीं हैं। आज भी आप देखें कि जो चीजें और जिस प्रकार के जुल्म और सितम हमारे लोगों पर हो रहे हैं उस के पीछे एक ही कारण है अस्पृश्यता का। यह ठीक है कि इस के लिये सरकारी आधार पर और दूसरे तरीके से प्रयत्न चलते हैं, लेकिन उन प्रयत्नों में कोई जीवन या कोई उस प्रकार की प्रगति नहीं

प्रतीत होती है। केवल इस लिये कि आघे मन से जो बात कही जाती है वह कोई प्रभाव नहीं रखती है। सारे देश के अन्दर यह बात जग रही है कुछ विशेष लोगों के दिमाग में कि तीन पंच वर्षीय योजनाओं के क्रम के बाद भी हमारे हरिजन भाइयों को, इस तरह के दबे हुए लोगों को, कोई विशेष जागृति, कोई विशेष उन्नति, कोई विशेष जीवन धारा, किसी भी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टियों से, प्राप्त हुई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि यदि इस बात की विशेष दृष्टि से जांच की जाये, कोई उच्च स्तरीय आयोग कायम कर के, तो यह बातें सामने आ सकती हैं। इस बात से बिल्कुल इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सारे देश के अन्दर, राज्य सरकारों के ऊपर भी यह उत्तरदायित्व आता है, जो उन्होंने निभाया नहीं है।

अपने संविधान के अन्दर हम ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, शब्द मात्र की दृष्टि से, लेकिन वह अस्पृश्यता आज भी लोगों के दिल दिमाग के अन्दर, उन की विचार धारा के अन्दर, उन की हड्डी और मज्जा के अन्दर, घुसी हुई है। इसी कारण से जो घटनायें आज भी घटित हो जाती हैं उन का जिस तरह से निराकरण किया जाता है वह एक इस प्रकार का विषय है कि जिस पर हमें सन्तोष नहीं होता है। यह बात जरूर है कि जब हम देश की एकता के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में, भावात्मक एकता के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हिन्दुस्तान का यह अंग, जो कि एक आवश्यक अंग है, जिस के उद्धार के लिये बापू जी ने प्रयत्न किया, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रयत्न किया और साधू सन्तो ने प्रयत्न किया और एक मानवीय दृष्टिकोण देश में पैदा किया, वह आज भी एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है, जो जीवन मानवीय दृष्टि से एक गलित जीवन है, गिरावट का जीवन है। उस में

कोई उन्नति नजर नहीं आती है। यह बात इस लिये नहीं है कि इस में दोष उन जातियों का है या उन लोगों का है जो अस्पृश्य कहलाते हैं और आज भी अस्पृश्यता की विभीषिका से ग्रस्त हैं। इस समस्या का अगर इस सदन में जिक्र किया जाता है तो आप यह समझ लीजिये कि जो जातिवाद है उस से हम लोग चिपटे नहीं रहना चाहते। अभी "सर्चलाइट" पेपर बिहार का है उस के 24 फरवरी के अंक में अग्र लेख लिया गया है: "क्लिगिंग टू कास्ट"। उस में लिखा गया है कि जो हरिजन लोग हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं वह जातिवाद से चिपटे रहना चाहते हैं। मैं यह दोषारोपण करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो जातिवाद से नहीं चिपटी हुई हैं या जिन पर जातिवाद का प्रभाव नहीं है, चाहे आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखा जाये अथवा दूसरे मामलों में देखा जाये। यदि लाभ की दृष्टि से देखा जाये, आर्थिक लाभ अगर किसी भी दृष्टि का नाम है, तो उस में भी दूसरे लोग अपना फायदा उठाते हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि हम लोग जिस दृष्टि से भी सोचते हैं वह जाति के आधार पर नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ जातियाँ विशेषकर उन्नति कर गई हों, लेकिन वह उन्नति एक ऐसी उन्नति नहीं है जो व्यापक हो, वह कुछ मुट्ठी भर लोगों की उन्नति है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि आज भी देश की हरिजन जातियों की विशेषकर जो भंगी, पासी या डोम आदि इस तरह की जातियाँ हैं उन की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इस दृष्टि से आज मैं इस अवसर पर यह संकल्प पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और देश का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue next time.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock on Saturday, February 27, 1965/Phalgun 8, 1886 (Saka).

GMG:IPND—LS II—2249 (A) LSD—25-3-65—970.